

• उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री श्यामानन्द झा, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर।
3. श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
4. श्री जैनेन्द्र कुमार, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर।
5. मो0 अमजद अली, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर।
6. डॉ0 रविन्द्र नाथ, प्रभारी पदा0 (बन्दोवस्त)-सह-जिला राजस्व शाखा, मुंगेर।
7. मो0 नजीर अहमद, जिला परिवहन पदा0, मुंगेर।
8. श्री सुखदेव प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर।
9. श्रीमती प्रतिभा कुमारी, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर।
10. श्री अमिताभ गुप्ता, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर।
11. श्री विजय कुमार, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर।
12. श्री अशीष कुमार बरियार, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर।
13. श्री अनिल राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर।
14. श्री कुमार प्रशान्त, खास महाल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
15. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर।
16. श्री ज्ञानेश्वर प्रकाश, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर।
17. श्री कुमार प्रेमनाथ, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
18. श्री चन्द्र किशोर वैद्य, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
19. मु0 खिलाफत अंसारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
20. श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर।

• अवकाश अथवा अन्य विशेष कारण से अनुपस्थित पदाधिकारी :-

21. श्री प्रभात कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
22. डॉ0 ईश्वरचन्द्र शर्मा, अपर समाहर्ता, मुंगेर।

सर्वप्रथम कोशी स्नातक निर्वाचन एवं आसन्न लोक सभा आम निर्वाचन, 2014 का कार्यान्वयन स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु सर्वप्रथम समयबद्ध किए जाने वाले कार्यों की तैयारियों के निमित्त निम्नवत् निदेश दिए गए :-

आसन्न लोक सभा निर्वाचन, 2014 :-

1. कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु मापदंडों के अनुरूप EVM निकालकर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कराया जाए।
2. निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को reschedule कर प्रशिक्षण दिया जाए।
3. उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर सभी छह विधानसभाओं का Booth List अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएँगे।
4. अवगत कराया गया कि निर्वाचन अवधि में अल्पाहार हेतु आमंत्रित निविदा के माध्यम से मात्र दो ही व्यक्तियों द्वारा निविदा डाली गई है, जो नियमानुकूल नहीं है। इस हेतु निदेशित किया गया कि पुनः दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अल्पकालीन निविदा का प्रकाशन कराया जाए।
5. लोक सभा आम निर्वाचन, 2014 हेतु आने वाले प्रेक्षकों के लिए अच्छी किस्म के वाहनों का आकलन कर संबंधित वाहन मालिक से वार्ता कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँगे ताकि ससमय वाहन की टैगिंग प्रेक्षकों के साथ की जा सके। इसके अतिरिक्त प्रेक्षकों के साथ प्रतिनियुक्त होने वाले सम्पर्क पदाधिकारियों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करें, जिन्हें क्षेत्र की जानकारी हो तथा जो योग्य एवं कुशल हों।
6. मतदान दिवस को सभी मतदान केन्द्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर के अनुश्रवण में विडियोग्राफी कराए जाने का निदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना द्वारा दिया गया है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7. कम-से-कम एक मतदान केन्द्रों पर मतदान दिवस को वेब कार्रिंटिंग किया जाना है, जिसके लिए इन्टरनेट की आवश्यकता तथा एक-एक कार्र्मिक की प्रतिनियुक्ति हेतु दूरसंचार प्रबंधक, बी0एस0एन0एल0, मुंगेर को पत्राचार किया जाए। इस कार्य हेतु आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर मॉक टेस्ट के तौर पर अधिष्ठापित वेब कार्रिंटिंग मतदान केन्द्रों का भ्रमण करेंगे।
8. उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों/अंचल अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों का अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित करेंगे।
9. सी0पी0एफ0 सुरक्षा बलों के आगमन के पूर्व उनके आवासन हेतु स्थलों का चयन यथाशीघ्र कर लिया जाए।

इसके उपरान्त साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में प्रदत्त निदेशों के अनुपालन का निदेश संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को दिया गया :-

10. निदेशक, डी0आर0डी0ए0 के अवकाश में रहने के कारण SECC के प्रगति की समीक्षा नहीं की जा सकी जिसके कारण पूर्व प्रदत्त निदेश यथावत् रखे जाते हैं कि SECC अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले कार्यों की नियमित समीक्षा हेतु प्रखंडवार नामित किए गए नोडल पदाधिकारियों से साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करें एवं प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँगे ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
11. निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर को निदेश दिया गया कि अबतक विहित प्रपत्र में प्राप्त हुए दावे/आपत्तियों को जांचोपरान्त प्रविष्टि COTS Software में करते हुए अंतिम रूप दिया जाए। इन सभी कार्यों का दैनिक समीक्षा उप विकास आयुक्त भी स्वयं करते हुए प्रगति प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँगे।
12. प्रखंड/अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता-सह-नोडल पदाधिकारी (Mentor) को ही SECC अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अपीलों की सुनवाई हेतु अपीलीय पदाधिकारी नामित किया गया है। इस हेतु इन्हें क्षेत्र भ्रमण के दौरान SECC के कार्यों की विशेष समीक्षा करने का निदेश दिया गया।
13. **RTPS :-** लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत **“तत्काल सेवा”** एवं RTPS के सफल संचालन हेतु विभागीय निदेशानुसार नोडल पदाधिकारी (Mentor) को निम्नलिखित कार्यों पर विशेष समीक्षा करने का निदेश दिया गया है :-
  - तत्काल सेवा संबंधी नोटिस बोर्ड सभी RTPS काउण्टर पर निश्चित रूप से अधिष्ठापित कराया जाए।
  - तत्काल सेवा अन्तर्गत तय समय सीमा दो दिनों के अन्दर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन किया जा रहा है अथवा नहीं ?
  - तत्काल सेवा अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निष्पादनोपरान्त 10 कार्य दिवस के अन्दर उक्त आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है अथवा नहीं ?
  - कतिपय प्रतिवेदनों से यह परिलक्षित होता है कि काफी संख्या में प्राप्त आवेदनों (विशेषकर दाखिल-खारिज) को बिना कारण स्पष्ट किए अस्वीकृत कर दिया जाता है, जो उचित नहीं है। अतः नोडल पदाधिकारी भ्रमण के दौरान Expire/Reject आवेदनों की गहन जाँच निश्चित रूप से करेंगे।
  - आर0टी0पी0एफ0 अधिनियम के अन्तर्गत जिन कर्मियों पर दण्ड स्वरूप राशि अधिरोपित की गई है, उनसे शत-प्रतिशत राशि की वसूली सुनिश्चित कर प्रतिवेदन समर्पित की जाए।
  - नोडल पदाधिकारी (Mentor) RTPS काउण्टरों के आस-पास दलाली व्यवस्था पूर्णरूपेण बंद करने हेतु कार्यालय खुलने के समय तथा बंद होने के पूर्व औचक निरीक्षण कर दलालों को पकड़कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

➤ आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर सभी RTPS स्थलों का नियमित भ्रमण करेंगे तथा बैकलॉग सुधारने हेतु यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

14. नोडल पदाधिकारी (Mentor), जमालपुर प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय को निदेश दिया गया कि वर्तमान में कार्यरत प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय को गंगा पम्प नहर सिंचाई प्रमंडल के परिसर में स्थानान्तरित करने की अद्यतन जानकारी से अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब अवगत कराया जाए।
15. नोडल पदाधिकारी (Mentor) को निदेश दिया गया कि क्षेत्र भ्रमण/कार्यालय निरीक्षण एवं साप्ताहिक प्रखंड स्तरीय बैठकों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद की राशि बारम्बार निदेश के बावजूद अधिकतम राशि समायोजित नहीं करने वाले कम-से-कम एक पंचायत सेवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को नहीं दिया है। यह अत्यन्त ही दुःखद है। अतः इसका अनुपालन अविलम्ब कर प्रस्ताव दें।
16. नोडल पदाधिकारी (Mentor) यह भी प्रतिवेदित करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा मद से प्रखंडों को उपलब्ध कराए गए धोती, साड़ी एवं कम्बल का उठाव कर शत-प्रतिशत वितरण अहर्तित लाभुकों के बीच किया गया है अथवा नहीं? वितरण कर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एक सप्ताह में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजें।

पूर्व साप्ताहिक बैठकों में प्रदत्त निदेशों के अनुपालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिए गए जिसका सारांश निम्न है :-


17. जिले में प्रा0स्वा0के0/अति0प्रा0स्वा0के0/आंगनबाड़ी केन्द्र/कला भवन/सामुदायिक भवन/पंचायत सरकार भवन/विद्यालय भवन/प्रखंड-सह-अंचल भवन/थाना भवन/लैंड बैंक/मनरेगा भवन इत्यादि के लिए भूमि उपलब्धता हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. पूर्व बैठक में प्रदत्त निदेश के आलोक में सहायक निदेशक सामाजिक, सुरक्षा, मुंगेर व्यक्तिगत रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि के वितरण कार्यक्रम एवं सभी प्रकार की गतिविधियों की वास्तविक समीक्षा करने हेतु सभी प्रखंडों का स्थलीय निरीक्षण कर संभावित त्रुटियों/कमियों का निराकरण कराएँगे। उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतः पूर्व प्रदत्त निदेश का अनुपालन हरहाल में किया जाए तथा स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह विशेष समीक्षा की जाए कि किन पंचायत सचिवों के पास सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि समायोजन हेतु अभी भी लंबित है। तत्पश्चात् उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।
19. यह सर्वविदित है कि दाखिल-खारिज मामलों के अपीलीय प्राधिकार भूमि सुधार उपसमाहर्ता होते हैं, परन्तु किसी भी भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा कालबाधित (Time Bond) आवेदन पत्रों के मामले में दण्ड स्वरूप कोई राशि वसूल नहीं की जा रही है। अतएव निदेश दिया गया कि कालबाधित (Time Bond) दाखिल-खारिज आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए RTPS प्रावधानानुसार दण्ड अधिरोपित करने एवं राशि वसूलने की कार्रवाई करेंगे।
20. भू-अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन अन्तर्गत विभागीय प्रपत्र-2 (रैयत का स्वघोषणा), प्रपत्र-3 (राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन) एवं प्रपत्र-4 (वैसे रैयत जिनके जमीन का सत्यापन नहीं हो पाया है), की भी जांच वरीय पदाधिकारी (Mentor) एवं अन्य टी0एच0आर0 दिवस एवं मनरेगा दिवस में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी करेंगे।
21. कबीर अन्येष्टि योजना एवं पारिवारिक लाभ योजना में प्रखंडों को उपावृत्त राशि के विरुद्ध वितरण की स्थिति की भी जांच वरीय पदाधिकारी (Mentor) सुनिश्चित करेंगे।

22. निर्वाचन कार्यों का अनुश्रवण प्रखंड स्तर पर वरीय पदाधिकारी (Mentor) नियमित रूप से करेंगे।
23. टी0एच0आर0 एवं मनरेगा दिवस में जांच हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपरोक्त दिवसों में विद्यालय/कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/उत्प्रेरण केन्द्र/आंगनबाड़ी में संचालित मध्याह्न भोजन योजना/कन्या विवाह योजना/ सामाजिक सुरक्षा पेंशन/BRGF, 13वाँ वित्त आयोग, चतुर्थ वित्त आयोग, एकीकृत कार्य योजना (IAP), आपकी सरकार आपके द्वार इत्यादि की भी जांच अवश्य करें तथा अधोहस्ताक्षरी को वास्तविक वस्तुस्थिति संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँ ताकि दोषी कर्मियों/व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।
15. पूर्व सम्पन्न बैठक में निर्णित निदेश, यथा- प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह वृहस्पतिवार को प्रखंड-सह-अंचल स्तरीय बैठक का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति में करेंगे जिसमें विशेषकर RTPS काउण्टर, कैंशुबुक का अद्यतन संधारण, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, साईकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण, AC, DC बिल, स्वास्थ्यपरक योजना, हल्का कर्मचारी के कार्यों इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा करेंगे। इसी आलोक में आयुक्त, मुंगेर, प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 2388/वि0, दिनांक 31.05.13 के अनुरूप प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता (Mentor) को निदेश दिया गया था कि वे कम-से-कम एक दिन तत्काल साप्ताहिक बैठकों में निर्धारित तिथि वृहस्पतिवार को समीक्षा के लिए प्रखंड-सह-अंचल जाएंगे तथा समीक्षा कर एक प्रतिवेदन दूसरे दिन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे। परन्तु इसका शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतएव पुनश्च निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक वृहस्पतिवार को उक्त बैठक का आयोजन अपनी अध्यक्षता में करते हुए बैठक की कार्यवाही की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को बैठक के दो दिन पश्चात् निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे अपने कर्तव्य के प्रति तत्पर एवं कार्यकुशल नहीं हैं। सहजता हेतु उक्त बैठक में गहन समीक्षा हेतु निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख पुनश्च किया जाता है :-
- लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सेवावार वितरण पंजी के अद्यतन संधारण एवं प्रावधानानुसार कार्य संपादन की जाँच करना।
  - सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्तर्गत प्रखंड/पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा अग्रिम राशि प्राप्ति के पश्चात् विपन्न समर्पित न कर अपने पास ही रखे हुए हैं, जो गबन का मामला बनता है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले परिलक्षित होने पर निरीक्षण टिप्पणी में अंकित करते हुए दोषी पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव देना।
  - वैसे पेंशनधारी, जिन्हें पूर्व में डाकघर के माध्यम से पेंशन की राशि का भुगतान होता था, परन्तु वर्तमान में किन्हीं कारणों से इन्हें पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है तो ऐसे लाभुकों को पोस्ट ऑफिस के खाता संख्या/PP0 संख्या के आधार पर वितरण पंजी के माध्यम से अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उचित पहचान कर भुगतान किया जाना।
  - बिहार शिक्षा परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा/जांच हेतु प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों/कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/उत्प्रेरण केन्द्र का भी स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना।
  - आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं, यथा-आंगनबाड़ी केन्द्र/भवन/केन्द्रों में कार्यान्वित योजनाओं/सेविका/सहायिका के

कार्य/पोषाहार की स्थिति की गहन समीक्षा/ स्थलीय निरीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना।

- विभिन्न स्रोतों से प्रायः ऐसी शिकायत प्राप्त होती रहती है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि स्वीकृत्योपरान्त अभी तक वितरित नहीं की गई है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले प्रकाश में आने पर तत्क्षण यथोचित कार्रवाई कर प्रतिवेदन देना।
16. विदित हो कि विभाग द्वारा सरकारी भूमि (शहरी) का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण पाए जाने पर उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त करते हुए घेराबन्दी कराने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए अधियाचना प्राप्त कर आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जानी है। इस कार्य के लिए शहरी क्षेत्रान्तर्गत अंचल अधिकारी, यथा-सदर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर को निदेश दिया जाता है कि बिना अनुमति प्राप्त किए सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए भा0द0वि0 की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। साथ ही अतिक्रमणमुक्त सरकारी भूमि की घेराबन्दी हेतु अधियाचना अपर समाहर्ता, मुंगेर को उपलब्ध करार्येंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण अपर समाहर्ता, मुंगेर विशेष तौर पर करेंगे।
17. प्रभारी वरीय उपसमाहर्ता, जिला विकास शाखा को निदेश दिया गया कि सभी मदों के लंबित ए0सी0 विपत्रों के लिए डी0सी0 विपत्र तैयार कर समायोजन हेतु महालेखाकार को भेजने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करेंगे।


अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
(नरेन्द्र कुमार सिंह)  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।

ज्ञापांक...519...../गो0,दिनांक...07/03/14

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर//आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(नरेन्द्र कुमार सिंह)  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।